

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/85/637126/0039/12

दिनांक : ई-साइन अनुसार

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय भवन,  
लिंक रोड नं. 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

**विषय:-** सागर जिले के अन्तर्गत बरौदा जलाशय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 21.06 हे० वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 सागर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/30442/2017)

**संदर्भ:-** भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 09/12/2022

--00--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, के उक्त संदर्भित पत्र से जारी की गयी सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग से प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

| क्र.                                                                                                                | Conditions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compliance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A- Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                   | The cost of compensatory afforestation on the CA land (21.06 ha NFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. | आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राशि रुपये 1,79,89,946/- ई-पोर्टल के माध्यम से एड-हॉक कैम्पा मद में जमा की गयी है।<br>साथ ही आवेदक विभाग द्वारा वचन-पत्र प्रस्तुत किया है कि यदि वनविभाग द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है, तो आवेदक विभाग वचनबद्ध है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                                                                                   | Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | परियोजना में पूर्व में आवंटित भूमि ग्राम फुलवारी तह. शाहगढ़ रकबा 10.08 हेक्टे. पर अतिक्रमण पाये जाने पर वन विभाग द्वारा कब्जा न लेने के कारण आवेदक विभाग द्वारा ग्राम सरखेड़ा खसरा नं 326 रकबा 10.08 हे० नवीन गैर वन भूमि आवंटित कराई गई है। जिसके कलेक्टर सागर का आदेश, नामांकरण एवं हस्तांतरण के दस्तावेज संलग्न है।<br>ग्राम हरद्वानी में कलेक्टर सागर के हस्तांतरण आदेश दिनांक 10.02.2006 से खजरा, मंजला, एवं क्वायला जलाशय हेतु 38.28 हेक्टे. भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर आधिपत्य में सौंपी गई किन्तु खजरा जलाशय योजना रद्द हो जाने के कारण पुनः कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 28.09.2018 के माध्यम से योजना की 14.26 हेक्टे. भूमि में से 10.98 हेक्टे. भूमि बरौदा जलाशय को आवंटित की गई है। उपरोक्तानुसार वन विभाग के आधिपत्य की 38.28 हेक्टे. भूमि के नामांकरण एवं हस्तांतरण के दस्तावेज एवं बरौदा जलाशय के कलेक्टर सागर का आदेश परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।<br>ग्राम सरखेड़ा एवं ग्राम हरद्वानी में प्राप्त गैर वनभूमि की KML file एवं जियो-रिफरेंस मेप, नामांतरण फार्म पी-2 आदि जानकारी को आनलाईन भाग-2 के बिन्दु क्रमांक-19 में Mutation Details कॉलम में अपलोड |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | की गयी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|------------|---------|-----|-------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|-------|
| 3                                                  | The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest or Protected Forest under the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of PF/RF notification shall be submitted with Stage-I compliance report.                                                                                                                                                                                    | परियोजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि का विवरण :- <table><tr><th>न्यायालय<br/>कलेक्टर जिला<br/>सागर का<br/>आदेश दिनांक</th><th>ग्राम</th><th>खसरा नं.</th><th>आवंटित<br/>रकबा<br/>(हे० में)</th></tr><tr><td>29.11.2024</td><td>सरखेड़ा</td><td>326</td><td>10.08</td></tr><tr><td>28.09.2018</td><td>हरद्वानी</td><td>105, 107/1,<br/>107/2, 128,<br/>129, 130,<br/>131, 132,<br/>133,<br/>136, 137,<br/>138,<br/>353, 354</td><td>10.98</td></tr><tr><td colspan="3">कुल :-</td><td>21.06</td></tr></table> प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को धारा-29 के तहत संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही प्रचलित है। | न्यायालय<br>कलेक्टर जिला<br>सागर का<br>आदेश दिनांक | ग्राम | खसरा नं. | आवंटित<br>रकबा<br>(हे० में) | 29.11.2024 | सरखेड़ा | 326 | 10.08 | 28.09.2018 | हरद्वानी | 105, 107/1,<br>107/2, 128,<br>129, 130,<br>131, 132,<br>133,<br>136, 137,<br>138,<br>353, 354 | 10.98 | कुल :- |  |  | 21.06 |
| न्यायालय<br>कलेक्टर जिला<br>सागर का<br>आदेश दिनांक | ग्राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | खसरा नं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आवंटित<br>रकबा<br>(हे० में)                        |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
| 29.11.2024                                         | सरखेड़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.08                                              |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
| 28.09.2018                                         | हरद्वानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105, 107/1,<br>107/2, 128,<br>129, 130,<br>131, 132,<br>133,<br>136, 137,<br>138,<br>353, 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.98                                              |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
| कुल :-                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21.06                                              |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
| 4                                                  | The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 21.06 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard. | आवेदक विभाग द्वारा एन.पी.व्ही. की राशि दो भागों में (60,57,699 + 1,41,13,148) कुल रुपये 2,01,70,847/- ई-पोर्टल के माध्यम से एड-हॉक कैम्पा मद में जमा की गयी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
| 5                                                  | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | आवेदक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रुपये 1,79,89,946/- एन.पी.व्ही. की राशि रुपये 2,01,70,847/- एवं CAT Plan की राशि रुपये 10,10,000/- का भुगतान आनलाईन एड-हॉक कैम्पा मद में किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
| 6                                                  | The User Agency shall submit an undertaking for no soil excavation in forest land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इस संबंध में आवेदक विभाग ने वचन-पत्र प्रस्तुत किया है, कि वनभूमि में कोई मिट्टी का उत्खनन नहीं किया जावेगा, उक्त वचन-पत्र परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
| 7                                                  | The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रकरण में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर, जिला सागर द्वारा एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु प्रति <input type="checkbox"/> परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
| 8                                                  | The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जानकारी e-Green watch पोर्टल पर अपलोड की गयी है, जिसकी आई.डी. क्रमांक 55550 है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
| 9                                                  | Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.                                                                                                                                                                                                                                            | आवेदक विभाग सहमत है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |
| 10                                                 | The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आवेदक विभाग द्वारा पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |       |          |                             |            |         |     |       |            |          |                                                                                               |       |        |  |  |       |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अपलोड किया गया है।                                                         |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------|----------|----|-------|---|---------|----------|-------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--|----------|-------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B- Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | Legal status of the forest land shall remain unchanged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आवेदक विभाग सहमत है, वचन-पत्र परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।                     |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 21.06 ha non-forest land at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided. Details of CA area as follows:</p> <table><tr><th>No.</th><th>CA on NFL</th><th>Khasra No.</th><th>Village</th><th>Tehsil</th><th>District</th></tr><tr><td>1.</td><td>10.08</td><td>1</td><td>Fulwari</td><td>Shahgarh</td><td>Sagar</td></tr><tr><td>2.</td><td>10.98</td><td>105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354</td><td>Hardwani</td><td>Shahgarh</td><td>Sagar</td></tr><tr><td></td><td>21.06 Ha</td><td colspan="4">TOTAL</td></tr></table> | No.                                                                        | CA on NFL | Khasra No. | Village  | Tehsil | District | 1. | 10.08 | 1 | Fulwari | Shahgarh | Sagar | 2. | 10.98 | 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 | Hardwani | Shahgarh | Sagar |  | 21.06 Ha | TOTAL |  |  |  | इस शर्त के पालन में परियोजना में प्राप्त गैर वनभूमि का विवरण शर्त क्रमांक A-2 एवं A-3 में प्रस्तुत है। |
| No.                                                                                                                                                                                                                                    | CA on NFL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Khasra No.                                                                 | Village   | Tehsil     | District |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                     | 10.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                          | Fulwari   | Shahgarh   | Sagar    |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                     | 10.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354   | Hardwani  | Shahgarh   | Sagar    |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 21.06 Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL                                                                      |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                      | Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इस संबंध में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                      | The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सहमत है।                                                                   |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                      | User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आवेदक विभाग सहमत है।                                                       |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                      | The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सहमत है।                                                                   |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                      | The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आवेदक विभाग सहमत है।                                                       |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                      | The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आवेदक विभाग सहमत है।                                                       |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                      | No additional or new path will be constructed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आवेदक विभाग सहमत है।                                                       |           |            |          |        |          |    |       |   |         |          |       |    |       |                                                                          |          |          |       |  |          |       |  |  |  |                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.                                                                                                                                              |                      |
| 10 | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.                                                                      | आवेदक विभाग सहमत है। |
| 11 | No labour camp shall be established on the forest land.                                                                                                                                                                                             | आवेदक विभाग सहमत है। |
| 12 | The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.                                                                  | आवेदक विभाग सहमत है। |
| 13 | The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.                                                                                                                                               | आवेदक विभाग सहमत है। |
| 14 | The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.                                                                                                                                                | आवेदक विभाग सहमत है। |
| 15 | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.                                                                      | आवेदक विभाग सहमत है। |
| 16 | The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project. | आवेदक विभाग सहमत है। |
| 17 | Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.                                                     | आवेदक विभाग सहमत है। |

अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by  
Hari Shankar Mohanta

Date: 02-07-2025

17:30:51

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, (सा०) वनमण्डल दक्षिण सागर/उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला सागर, मध्यप्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

परिशिष्ट - 1

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,

WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)  
Phone no-07582-285247 Near Civil Court. Sagar, Pin.-470001  
E-mail: cewrdsnolsgr@gmail.com

## Undertaking ①

User agency undertakes that Additional amount of the CA or NPV of the forest land, if any, shall be charged by the State Government from the User Agency.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Division Officer  
Water Resources Sub Division No 03  
Garhakota Dist. Sagar (M.P.)

  
(Akhil Bithare)  
Executive Engineer  
Water Resources Division No.1  
Sagar (M.P.)

## न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क.28 अ/19(3) वर्ष 17-18  
ग्राम हरदुवानी प.ह.नं. 47  
तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग कमांक-1 सागर,  
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)  
विरुद्ध

ग.प्र.शासन

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 28/09/2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-1 सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) ने पत्र कमांक-1679/कार्य/2018-19 सागर दिनांक 22.05.18 में लेख किया गया कि न्यायालय कलेक्टर सागर के प्रकरण कमांक-6 अ/19(4) वर्ष 2005-06 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 के द्वारा सागर जिले को निम्नलिखित परियोजना खजरा जलाशय, मंजला जलाशय एवं क्वायला जलाशय की डूब क्षेत्र में लाने वाली वन भूमि के बदले ग्राम हरदुवानी तहसील बण्डा की शासकीय राजस्व भूमि 38.28 हे. वन विभाग को हस्तांतरित हुआ था। उक्त हस्तांतरित भूमि वन विभाग के नाम नानांतरित एवं उनके आधिपत्य में है। उक्त तीनों योजनाओं में से खजरा जलाशय योजना के वनभूमि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र कमांक-SMP/0338/2007-BHO/4410 दिनांक 03.12.2007 द्वारा एस.ए.जी. न.प्र. दिनांक 01.08.2007 को देकर विचारोपरान्त 2300 वृक्षों के पातन एवं मात्र 167 हे. सिंचाई के परिपेक्ष्य में परियोजना सुविचारित मान्य नहीं की गई। इस परिपेक्ष्य में तत्कालीन कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक-2 सागर के पत्र कमांक-1063/वन प्र./कार्य/08 सागर दिनांक 04.04.2008 द्वारा योजना की स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। न.प्र.जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक-373/22/09/09 भोपाल दिनांक 02.05.2012 में निहित निर्देशानुसार स.क. 16 पर दर्शित खजरा जलाशय योजना जिला सागर की स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु जानकारी प्रपत्र 151 (संशोधित) में भरकर योजना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुविचारित नहीं होने एवं लागत प्रति हे. अधिक होने के कारण निरस्तीकरण प्रस्ताव कार्यपालन जल संसाधन संभाग कमांक-1 सागर द्वारा प्रमुख अभियंता को भेजा जा चुका है। इस प्रकार खजरा जलाशय योजना का निर्माण नहीं किया जा सका है। इस योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित ग्राम हरदुवानी की 14.26 हे. वनभूमि वन विभाग के आधिपत्य में है। जो अतिशेष श्रेणी में है। सागर जिले के सागर विकास खण्ड की बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कुल गैर वन भूमि 21.06 हे. जिसमें से 10.08 हे. भूमि तहसील शाहगढ के ग्राम फुलवारी के खसरा नं. 01 में से न्यायालय कलेक्टर सागर के आदेश कमांक-21 अ/19(3) वर्ष 17-18 दिनांक 22.05.18 को आवंटित हो चुकी है। अतः इस योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक शेष 10.98 हे. राजस्व भूमि खजरा जलाशय हेतु आवंटित 14.26 हे. राजस्व भूमि (जो वन विभाग के पास अतिशेष है) में से समायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा जिला सागर से प्रकरण तैयार करवाया गया। तहसीलदार बण्डा द्वारा प्रकरण कमांक-574 बी/121 वर्ष 17-18 ग्राम हरदुवानी में इस्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई। इस्तहार पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्ताव लिया गया। तहसीलदार बण्डा द्वारा ग्राम हरदुवानी प.ह.नं. 47 तहसील बण्डा जिला सागर स्थित भूमि ख.नं. 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 कुल रकबा 38.28 हे. में से रकबा 10.98 हे. भूमि पर खजरा जलाशय के स्थान पर बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसकी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी बण्डा द्वारा की गई।

P.T.O

इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-6 अ/19(4) वर्ष 2005-06 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 द्वारा ग्राम हरद्वानी प.ह.नं. 47 तहसील बण्डा जिला सागर स्थित भूमि ख.नं. 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 कुल रकबा 38.28 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित की गई थी। उसमें से रकबा 14.26 हे. भूमि का खजरा जलाशय योजना का प्रस्ताव सिंचाई के परिपेक्ष्य में परियोजना सुविचारित मान्य न होने से योजना की स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित होने से एवं उक्त भूमि वन विभाग के आधिपत्य में होने एवं अतिशेष की श्रेणी में होने से उसके स्थान पर वरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्न विवरण अनुसार भूमि समायोजित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतः अनुविभागीय अधिकारी बण्डा एवं तहसीलदार बण्डा एवं वन मंडल अधिकारी उत्तर वन मंडल सागर की सहमति पर ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा की निम्नानुसार भूमि :-

| क्र. | ग्राम का नाम | प.ह.नं. | ख.नं.                                                                    | कुल रकबा (हे.मे) | समायोजित रकबा (हे. मे) | मद     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------|
| 01   | हरद्वानी     | 47      | 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 | 14.26            | 10.98                  | शासकीय |

उक्त भूमि का समायोजन होने से ग्राम का आम निस्तार का रकबा अप्रभावित रहेगा। समायोजित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(आलोक कुमार सिंह)  
कलेक्टर  
जिला-सागर

पृ.क्रं 0/10783/री0कले0/18  
प्रतिलिपि:-

सागर, दिनांक 28/05/2018

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- 2- सचिव म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- 3- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल
- 5- मुख्य वन संरक्षक वृत्त सागर जिला सागर
- 6- वन मंडल अधिकारी (स.) वन मंडल उत्तर सागर वन मंडल सागर
- 7- अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर
- 8- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग क्रमांक-एक सागर
- 9- तहसीलदार बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्ती एवं आवंटित भूमि का अधिपत्य संबंधित विभाग को दिलाये जाने उपरान्त संशोधित अभिलेख खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं अधिपत्य दिये जाने का पंचनामा प्रतिवेदन सहित प्रकरण इस न्यायालय को शीघ्र भेजे।

कलेक्टर

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा.प्र.क्रं.- 0002/अ-20(3)/वर्ष 2024-25

मौजा- सरखेड़ा प.ह.नं. 07

तहसील देवरी जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग क्रमांक-1

सागर (म.प्र.)

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

**!! आदेश !!**

(पारित दिनांक 29/11/2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर (म.प्र.) द्वारा ग्राम सरखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 07 खसरा नंबर 326 रकबा 75.510 हे. में से 15.00 हे. भूमि बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सागर को हस्तांतरित किये जाने बाबत आवेदन पत्र ऑनलाईन दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवरी (राजस्व) को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा नायब तहसीलदार, मण्डल गौरझामर से जांच प्रतिवेदन लिया गया।

नायब तहसीलदार, मण्डल गौरझामर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इशतहार का प्रकाशन ग्राम में एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सरखेड़ा स्थित खसरा नंबर 326 रकबा 75.51 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख एवं मिसल बंदोबस्त अनुसार पहाड़/चट्टान के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि में से रकबा 15.00 हेक्टेयर भूमि आवंटन से ग्राम के छोटाघास रकबे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्राम की चरोखर भूमि के रकबे में परिवर्तन नहीं होने से 02% प्रतिशत शर्त का उल्लंघन नहीं होगा। उक्त भूमि दक्षिण वन मण्डल से लगी हुई है। आवेदित भूमि बरोदा सिंचाई परियोजनान्तर्गत डूब में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकबा 15.00 हेक्टेयर भूमि आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रतिवेदित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी द्वारा प्रारूप-2 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार मौजा सरखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल गौरझामर खसरा नंबर 326 रकबा 75.51 हे. मद (पहाड़) में से 15.00 हे. भूमि मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में आवंटन की जाना है। उक्त संबंध में सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया नियत समयावधि में कोई आक्षेप/आपत्तियां प्राप्त नहीं। स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत सरखेड़ा जनपद पंचायत देवरी द्वारा आवेदित भूमि आवंटन की अनुशंसा की गई। आवेदित भूमि अतिक्रमण मुक्त व आवंटन हेतु उपयुक्त है प्रस्तावित रकबे को नक्शा में लाल स्याही से आच्छादित किया गया है।

P.T.O.

ग्राम का चरनोई रकवा 16.90 हे. है, खाते के रकवा के मान से 2% प्रतिशत चरनोई रकवा 8.00 हे. है, आवेदित भूमि आवंटित उपरांत ग्राम का चरनोई का रकवा 2% प्रतिशत से 8.90 हे. अधिक शेष रहेगा। आवेदित भूमि ग्राम सरखेड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर (मद-पहाड़) शासकीय मध्यप्रदेश शासन का अंश भाग रकवा 15.00 हेक्टेयर भूमि को म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग के प्रस्तुत आवेदन अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 11.11.2024 को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मौजा सरखेड़ा प.ह.नं. 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल गौरझामर तहसील देवरी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर (मद-पहाड़) में से रकवा 15.00 हेक्टेयर भूमि "म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा" बरोदा सिंचाई परियोजनान्तर्गत आने वाली वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। नजूल अधिकारी सागर द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

अतः नायब तहसीलदार गौरझामर, अनुविभागीय अधिकारी देवरी, नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव एवं जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर निम्नानुसार भूमि :-

| क्रं     | ग्राम/तहसील का नाम | प.ह.नं. | खसरा | कुल रकवा (हे.में) | हस्तांतरित रकवा (हे.में) | मद           | विभाग का नाम                    |
|----------|--------------------|---------|------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1        | सरखेड़ा/देवरी      | 07      | 326  | 75.51             | 15.00                    | शासकीय पहाड़ | वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल |
| कुल योग- |                    |         |      |                   | 15.00                    |              |                                 |

म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए "म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार - राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा" वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित की जाती है। उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(संदीप जी.आर.)  
कलेक्टर

जिला-सागर

सागर दिनांक 29/11/2024

प्रक्रा/ 10/4/ /सी0कले0/2024  
प्रतिलिपि:-

1. वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को सूचनाार्थ।

P.T.O.

2. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरुस्ती कराये जाने एवं हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधीपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
5. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नायब तहसीलदार, गौरझामर तहसील देवरी जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. नगर तथा ग्राम निवेश सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
8. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
कलेक्टर  
जिला-सागर

सं. प्र. क्र. 21 अ/19(3) वर्ष 17-18

मौजा-फुलवारी, मदनतला, प.ह.नं. 22

तहसील शाहगढ़ जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग क्रमांक-1

सागर जिला (म.प्र.)

विरुद्ध

आवेदक

म.प्र.शासन

अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 22/5/2018)

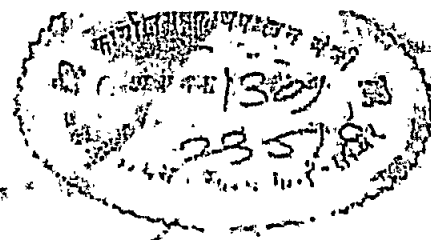
तहसीलदार शाहगढ़ का प्रकरण क्रमांक-861 बी/121 वर्ष 17-18 ग्राम फुलवारी, मदनतला अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर ने जापन क्रमांक- 973/कार्य/2018 सागर दिनांक 24.03.18 में कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले हस्तांतरित शासकीय भूमि के स्थान पर तहसील शाहगढ़ के ग्राम फुलवारी, मदनतला, बन्नोरा की शासकीय भूमि हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित की गई।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार शाहगढ़ को पत्र क्रमांक-4349/री.कले./18 सागर दिनांक 05.04.18 भेजा जाकर कार्यपालन यंत्री के प्रस्ताव का परीक्षण राजस्व विभाग वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त उपरोक्त ग्रामों का पृथक-पृथक ग्रामवार प्रकरण तैयार कर शासन के नियम निर्देशों के तहत अपने अभिमत के साथ उचित माध्यम से भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग बण्डा के जापन क्रमांक-731/एस.टी./18 बण्डा दिनांक 22.06.18 में प्रतिवेदित किया गया कि विप्रयातगत संदर्भित पत्र के पालन में तहसीलदार शाहगढ़ से प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/144/प्र./तह./2018 शाहगढ़ दिनांक 21/05/2018 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम फुलवारी प.ह.नं. 22 की भूमि ख.नं. 1 कुल रकवा 25.470 हे. में से 25.000 हे., खसरा नं. 43 कुल रकवा 75.690 हे. में से 65.000 हे. ग्राम मदनतला में खसरा नं. 187 कुल रकवा 25.000 हे. में से 24.290 हे. एवं ग्राम बन्नोरा प.ह.नं. 33 के खसरा नं. 194 कुल रकवा 36.400 हे. में से 21.592 हे. भूमि कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना बरोदा जलाशय, जमदरा जलाशय एवं पिपरिया जसराज जलाशय के डूब क्षेत्र में गई वन भूमि के बदले उक्त भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित करने बाबत आदेश प्राप्त हुआ। उक्त निर्देश के पालन में दिनांक 07/05/2018 को पुलिस बल, ग्राम कोटवार, पटवारी टीम, जल संसाधन से अनुविभागीय अधिकारी उपयंत्री एवं वन विभाग के डिप्टी रेंजर, बीटगाई एवं पुलिस विभाग से थाना प्रभारी शाहगढ़ अमले के सहित उक्त तहसीलदार की उपस्थिति में ग्राम फुलवारी के खसरा नं. 1 एवं 43 का सीमांकन किया गया। वन विभाग द्वारा जी.पी.एस. रीडिंग ली गई। नियत बिन्दुओं पर चूना लाइन डलवायी गई। खसरा नं. 1 के नक्शा के मध्य में खसरा नं. 02 रकवा 1.10 हे. को हस्तांतरण हेतु चिन्हित किया गया एवं खसरा नं. 43 कुल रकवा 75.69 हे. में से 65.000 हे. रकवा नक्शा अनुसार सीमांकित कर बताया गया। चूना डालकर जी.पी.एस. रीडिंग ली गई। सीमांकित भूमि वृक्षारोपण के उपयुक्त एवं अतिक्रमण मुक्त पाई गई। सीमांकित भूमि वन भूमि के कक्ष क्रमांक 502 से लगी हुई है। ग्राम मदनतला के खसरा नं. 187 कुल रकवा 25.000 में से 24.290 हे. भूमि वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी, डिप्टी रेंजर, बीटगाई, जल संसाधन से उपयंत्री श्री जैन की उपस्थिति टीम द्वारा सीमांकित की गई, चूना डलवाया गया एवं बीट गाई द्वारा आवश्यक बिन्दुओं पर जी.पी.एस. रीडिंग ली गई। सीमांकित भूमि वृक्षारोपण के प्रयोजन उपयुक्त एवं अतिक्रमण मुक्त पाई गई। सीमांकित वन भूमि के कक्ष क्रमांक 500 से लगी हुई है। ग्राम बन्नोरा में वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी, बीटगाई, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन से उपयंत्री श्री जैन ग्राम बन्नोरा की भूमि खसरा नं. 194 रकवा 36.400 हे. में से 21.592 हे. के सीमांकन हेतु मौके पर उपस्थित हुये मौके पर निरीक्षण के

P.T.O.



11211

श. प्र. क्र. 2 / अ/12(3) तारी 17-18

वैमान वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को वृक्षारोपण के उपभुक्त न होना बताया गया एवं बी.पी.एस. अधिकारी को भी भेजा। तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रतिवेदन समुचित कार्यवाही हेतु सहायक सचिव संशोधित है।

प्राप्त प्रस्ताव एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी (सागर) मण्डल के प्रस्ताव से सहमत होते हुए तहसील शाहगढ़ में अनुशंसा में दर्शाए गए भागों की शारदात्मक भूमि अनुशंसा

| क्र. | योजना का नाम       | ग्राम का नाम | प.ह.नं. | ख.नं. | कुल रकबा | हस्तांतरित रकबा | शेष   |
|------|--------------------|--------------|---------|-------|----------|-----------------|-------|
| 01   | कैथ मध्यम परियोजना | फुलवारी      | 22      | 01    | 25.47    | 14.912          | घरगोई |
|      |                    | फुलवारी      | 22      | 43    | 75.69    | 65.00           | घरगोई |
| 02   | जमदारी जलाशय       | सुदन्तला     | 22      | 187   | 25.00    | 24.29           | घरगोई |
| 03   | बरोदा जलाशय        | फुलवारी      | 22      | 01    | 25.47    | 10.08           | घरगोई |
|      |                    |              |         |       | कुल योग- | 114.28          |       |

का म.प्र.भ.स.संहिता, 1959 (अध्या. संशोधित, 2011) में तहत यह परिघटना करते हुए तीस मध्यम सिंचाई परियोजना, जमदारी जलाशय, बरोदा जलाशय में भूमि में आने वाली भूमि के बदले में वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की जाती है साथ ही प्रचारण क्रमांक- 13 अ/19(3) वर्ष 16-17 में जारी आदेश दिनांक 13.02.18 के द्वारा आग दरारिया प.ह.नं. 06 तहसील रहली का भूमि हस्तांतरण का आदेश निरस्त किया जाता है।

उक्त भूमि से हस्तांतरण से ग्राम का आम विस्तार का रकबा अज्ञात रहनेगा। भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण एवं आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(आलोक कुमार सिंह)

कलेक्टर

जिला सागर

सागर, दिनांक 24/5/2018

प्र.क्र. 6248 / सी.कले. /2018

प्रतिनिधि-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ अयन भोपाल को सूचनाई।
- 2- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, वल्लभ अयन भोपाल को सूचनाई।
- 3- कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को सूचनाई।
- 4- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर, जिला सागर को सूचनाई।
- 5- वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर को सूचनाई।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी रहली को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी बड़ा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित तहसीलदार शाहगढ़ से आदेशानुसार कार्यवाही कराये जाने तथा कार्यवाही उपरान्त संशोधित अगिलेख की नकल सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को भेजे जाने हेतु।
- 8- तहसीलदार शाहगढ़ को उनके प्रकरण सहित आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

तहसीलदार शाहगढ़ को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख अ. 17/06/2018 सागर (म.प्र.) सागर दि. 26.5.18 कलेक्टर

प्रतिनिधि

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग 3 गढ़मोटा 4 सागर

सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगिलेख

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग क्र. 1  
सागर (म.प्र.)

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**  
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING** (S)

The user agency undertakes that no soil excavation in forest land.



(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Birihare)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

420-4

**FORM - II**  
(For projects other than linear projects)  
Government of Madhya Pradesh  
Office of the District Collector Sagar

No. / 11/2017

Dated: 11/12/17

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-098-F( pt ) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 21.06 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Baroda Jalasay (purpose for diversion of forest land) in Sagar District falls within jurisdiction of Gram panchayat Baroda (s) in Sagar tehsils.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire 21.06 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(S) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure-6
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language ) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each concerned Gram sabha (s) has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out and they have given their consent to proposed division and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purposed and details of proposed division, A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Baroda villages (s) is enclosed as Annexure-I to annexure-6
- (d) The discussion and decision of such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The right of primitive Tribal Ground and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl. As above:

A/c  
(Signature)  
Collector  
Sagar (M.P.)

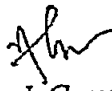
**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**

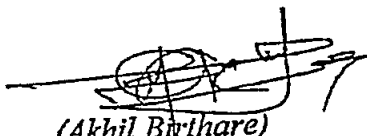
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdo.1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING** ⑧

The user agency undertakes to keep the legal status of diverted forest land unchanged.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birlhare)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure- 6

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES  
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eowrdno.1sgr@gmail.com

UNDERTAKING ⑨

User Agency undertakes that additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Bithare)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

| शर्त क्र. | अधिरूपित शर्तों का विवरण | शर्तों का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट | रिमार्क |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|---------|
| 1         | 2                        | 3                                | 4       |

**A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.**

| 1       | The cost of compensatory afforestation on the CA land (21.06 ha NFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. | <p>शर्त क्र. 1 के पालन में विवरण निम्नानुसार है -</p> <table><tr><th>स. क्र.</th><th>कार्य का विवरण</th><th>राशि</th><th>वाचन पत्र</th><th>भुगतान का विवरण</th></tr><tr><td>1</td><td>वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि</td><td>1,79,89,948/-</td><td>प्रधान मुख्य वन संरक्षक मु-प्रबंध भोपाल का पत्र क्र. 4222 दिनांक 13.12.2022</td><td>कुल राशि 3,31,13,094/- का भुगतान ई-चेक क्र. 0330170239 दिनांक 13.04.2023 को किया गया है।</td></tr><tr><td>2</td><td>एन.पी.वी. की राशि</td><td>1,41,13,148/-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>फंड प्लान की राशि</td><td>10,10,000/-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>अतिरिक्त एन.पी.वी. की राशि</td><td>60,57,899/-</td><td>वनमंडल अधिकारी (द.) का पत्र क्र. 3003 दिनांक 05.08.2023</td><td>कुल राशि 60,57,899/- का भुगतान ई-चेक क्र. 0330230818 दिनांक 18.03.2024 को किया गया है।</td></tr></table> <p>आवेदक संस्था उपरोक्त भुगतान के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा अन्य किसी मांग राशि के भुगतान हेतु वचनबद्ध है।</p> | स. क्र.                                                                     | कार्य का विवरण                                                                           | राशि | वाचन पत्र     | भुगतान का विवरण      | 1 | वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि      | 1,79,89,948/- | प्रधान मुख्य वन संरक्षक मु-प्रबंध भोपाल का पत्र क्र. 4222 दिनांक 13.12.2022 | कुल राशि 3,31,13,094/- का भुगतान ई-चेक क्र. 0330170239 दिनांक 13.04.2023 को किया गया है। | 2 | एन.पी.वी. की राशि                 | 1,41,13,148/- |     |                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | फंड प्लान की राशि | 10,10,000/- |  |  | 4 | अतिरिक्त एन.पी.वी. की राशि | 60,57,899/- | वनमंडल अधिकारी (द.) का पत्र क्र. 3003 दिनांक 05.08.2023 | कुल राशि 60,57,899/- का भुगतान ई-चेक क्र. 0330230818 दिनांक 18.03.2024 को किया गया है। | विवरण एवं वचन पत्र क्र. 1 संलग्न है। |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--|--|---|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| स. क्र. | कार्य का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वाचन पत्र                                                                   | भुगतान का विवरण                                                                          |      |               |                      |   |                                  |               |                                                                             |                                                                                          |   |                                   |               |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |  |  |   |                            |             |                                                         |                                                                                        |                                      |
| 1       | वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,79,89,948/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक मु-प्रबंध भोपाल का पत्र क्र. 4222 दिनांक 13.12.2022 | कुल राशि 3,31,13,094/- का भुगतान ई-चेक क्र. 0330170239 दिनांक 13.04.2023 को किया गया है। |      |               |                      |   |                                  |               |                                                                             |                                                                                          |   |                                   |               |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |  |  |   |                            |             |                                                         |                                                                                        |                                      |
| 2       | एन.पी.वी. की राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,41,13,148/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                          |      |               |                      |   |                                  |               |                                                                             |                                                                                          |   |                                   |               |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |  |  |   |                            |             |                                                         |                                                                                        |                                      |
| 3       | फंड प्लान की राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,10,000/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |      |               |                      |   |                                  |               |                                                                             |                                                                                          |   |                                   |               |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |  |  |   |                            |             |                                                         |                                                                                        |                                      |
| 4       | अतिरिक्त एन.पी.वी. की राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60,57,899/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वनमंडल अधिकारी (द.) का पत्र क्र. 3003 दिनांक 05.08.2023                     | कुल राशि 60,57,899/- का भुगतान ई-चेक क्र. 0330230818 दिनांक 18.03.2024 को किया गया है।   |      |               |                      |   |                                  |               |                                                                             |                                                                                          |   |                                   |               |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |  |  |   |                            |             |                                                         |                                                                                        |                                      |
| 2       | Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>शर्त क्र. 2 के पालन में विवरण निम्नानुसार है -</p> <table><tr><th>स. क्र.</th><th>आवृत्ति एवं हस्तांतरित भूमि</th><th>रकबा</th><th>खसरा का विवरण</th><th>कलेक्टर का आदेश क्र.</th></tr><tr><td>1</td><td>ग्राम हरदानी तह. बण्डा जिला सागर</td><td>10.98 हेक्टे.</td><td>105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354</td><td>रा.प्र.क्र. 26/अ/19(3) वर्ष 2017-18. आदेश दिनांक 28.09.2018</td></tr><tr><td>2</td><td>ग्राम सरखेड़ा तह. देवरी जिला सागर</td><td>10.08 हेक्टे.</td><td>328</td><td>रा.प्र.क्र. 0002/अ-20(3) वर्ष 2024-25 आदेश दिनांक 29.11.2024</td></tr></table> <p>वचन पत्र क्र. 2 संलग्न है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स. क्र.                                                                     | आवृत्ति एवं हस्तांतरित भूमि                                                              | रकबा | खसरा का विवरण | कलेक्टर का आदेश क्र. | 1 | ग्राम हरदानी तह. बण्डा जिला सागर | 10.98 हेक्टे. | 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354    | रा.प्र.क्र. 26/अ/19(3) वर्ष 2017-18. आदेश दिनांक 28.09.2018                              | 2 | ग्राम सरखेड़ा तह. देवरी जिला सागर | 10.08 हेक्टे. | 328 | रा.प्र.क्र. 0002/अ-20(3) वर्ष 2024-25 आदेश दिनांक 29.11.2024 | <p>1. पूर्व में आवृत्ति भूमि ग्राम फुलवारी तह. शाहगढ़ रकबा 10.08 हेक्टे. से वन विभाग द्वारा कब्जा करने के कारण पुनः ग्राम सरखेड़ा तह. देवरी में उक्त भूमि पुनः आवृत्ति की गई। जिसके कलेक्टर सागर का आदेश, नामांतरण एवं हस्तांतरण के दस्तावेज संलग्न है। 2. ग्राम हरदानी में कलेक्टर सागर के पारित आदेश दिनांक 10.02.2008 को खजरा, मंजुला एवं कपायला जलाशय हेतु 38.28 हेक्टे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर आधिपत्य में सौंपी गई किन्तु खजरा जलाशय योजना रद्द हो जाने के कारण पुनः कलेक्टर सागर को आदेश दिनांक 28.09.2018 के माध्यम से योजना की 14.28 हेक्टे. भूमि में से 10.98 हेक्टे. भूमि बरीदा जलाशय को आवृत्ति की गई है। उपरोक्तानुसार वन विभाग के आधिपत्य की 38.28 हेक्टे. भूमि के नामांतरण एवं हस्तांतरण के दस्तावेज एवं बरीदा जलाशय के कलेक्टर सागर का आदेश संलग्न है।</p> |                   |             |  |  |   |                            |             |                                                         |                                                                                        |                                      |
| स. क्र. | आवृत्ति एवं हस्तांतरित भूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रकबा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | खसरा का विवरण                                                               | कलेक्टर का आदेश क्र.                                                                     |      |               |                      |   |                                  |               |                                                                             |                                                                                          |   |                                   |               |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |  |  |   |                            |             |                                                         |                                                                                        |                                      |
| 1       | ग्राम हरदानी तह. बण्डा जिला सागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.98 हेक्टे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354    | रा.प्र.क्र. 26/अ/19(3) वर्ष 2017-18. आदेश दिनांक 28.09.2018                              |      |               |                      |   |                                  |               |                                                                             |                                                                                          |   |                                   |               |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |  |  |   |                            |             |                                                         |                                                                                        |                                      |
| 2       | ग्राम सरखेड़ा तह. देवरी जिला सागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.08 हेक्टे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 328                                                                         | रा.प्र.क्र. 0002/अ-20(3) वर्ष 2024-25 आदेश दिनांक 29.11.2024                             |      |               |                      |   |                                  |               |                                                                             |                                                                                          |   |                                   |               |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |  |  |   |                            |             |                                                         |                                                                                        |                                      |

|      | The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest or Protected Forest under the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of PF/RF notification shall be submitted with Stage-1 compliance report.                                                                                                                                                                                     | शर्त क्र. 3 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नोटिफिकेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है।<br>वचन पत्र क्र. 3 संलग्न है। |                                                                                           |      |           |                  |    |                             |               |                                         |                                                                                           |   |                  |               |                                     |  |   |                 |             |  |  |    |                           |             |                                                        |                                                                                         |                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|----|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---------------|-------------------------------------|--|---|-----------------|-------------|--|--|----|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4    | The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 21.06 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06/01/2022 in this regard. | <p>शर्त क्र. 4 के पालन में विवरण निम्नानुसार है -</p> <table><tr><th>क्र.</th><th>कार्य का विवरण</th><th>राशि</th><th>मांग पत्र</th><th>मुग्तान का विवरण</th></tr><tr><td>1.</td><td>वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि</td><td>1,79,89,946/-</td><td>प्रधान मुख्य वन संरक्षक मु-प्रदेश भोपाल</td><td>कुल राशि 3,31,13,094/- का मुग्तान ई-चेक क्र. 0330170239 दिनांक 13.04.2023 को किया गया है।</td></tr><tr><td>2</td><td>एन.पी.वी की राशि</td><td>1,41,13,148/-</td><td>का पत्र क्र. 4222 दिनांक 13.12.2022</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>फेट खान की राशि</td><td>10,10,000/-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>अतिरिक्त एन.पी.वी की राशि</td><td>60,57,699/-</td><td>समस्त अधिकारी (द.) का पत्र क्र. 3003 दिनांक 05.06.2023</td><td>कुल राशि 60,57,699/- का मुग्तान ई-चेक क्र. 0330230816 दिनांक 16.03.2024 को किया गया है।</td></tr></table> <p>आवेदक संस्था उपरोक्त मुग्तान के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा अन्य किसी मांग राशि के मुग्तान हेतु वचनबद्ध है।</p> | क्र.                                                                                         | कार्य का विवरण                                                                            | राशि | मांग पत्र | मुग्तान का विवरण | 1. | वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि | 1,79,89,946/- | प्रधान मुख्य वन संरक्षक मु-प्रदेश भोपाल | कुल राशि 3,31,13,094/- का मुग्तान ई-चेक क्र. 0330170239 दिनांक 13.04.2023 को किया गया है। | 2 | एन.पी.वी की राशि | 1,41,13,148/- | का पत्र क्र. 4222 दिनांक 13.12.2022 |  | 3 | फेट खान की राशि | 10,10,000/- |  |  | 4. | अतिरिक्त एन.पी.वी की राशि | 60,57,699/- | समस्त अधिकारी (द.) का पत्र क्र. 3003 दिनांक 05.06.2023 | कुल राशि 60,57,699/- का मुग्तान ई-चेक क्र. 0330230816 दिनांक 16.03.2024 को किया गया है। | वचन पत्र क्र. 1 संलग्न है। |
| क्र. | कार्य का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मांग पत्र                                                                                    | मुग्तान का विवरण                                                                          |      |           |                  |    |                             |               |                                         |                                                                                           |   |                  |               |                                     |  |   |                 |             |  |  |    |                           |             |                                                        |                                                                                         |                            |
| 1.   | वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,79,89,946/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रधान मुख्य वन संरक्षक मु-प्रदेश भोपाल                                                      | कुल राशि 3,31,13,094/- का मुग्तान ई-चेक क्र. 0330170239 दिनांक 13.04.2023 को किया गया है। |      |           |                  |    |                             |               |                                         |                                                                                           |   |                  |               |                                     |  |   |                 |             |  |  |    |                           |             |                                                        |                                                                                         |                            |
| 2    | एन.पी.वी की राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,41,13,148/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | का पत्र क्र. 4222 दिनांक 13.12.2022                                                          |                                                                                           |      |           |                  |    |                             |               |                                         |                                                                                           |   |                  |               |                                     |  |   |                 |             |  |  |    |                           |             |                                                        |                                                                                         |                            |
| 3    | फेट खान की राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,10,000/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                           |      |           |                  |    |                             |               |                                         |                                                                                           |   |                  |               |                                     |  |   |                 |             |  |  |    |                           |             |                                                        |                                                                                         |                            |
| 4.   | अतिरिक्त एन.पी.वी की राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,57,699/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | समस्त अधिकारी (द.) का पत्र क्र. 3003 दिनांक 05.06.2023                                       | कुल राशि 60,57,699/- का मुग्तान ई-चेक क्र. 0330230816 दिनांक 16.03.2024 को किया गया है।   |      |           |                  |    |                             |               |                                         |                                                                                           |   |                  |               |                                     |  |   |                 |             |  |  |    |                           |             |                                                        |                                                                                         |                            |
| 5    | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शर्त क्र. 5 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वचन पत्र क्र. 4 संलग्न है।                                                                   |                                                                                           |      |           |                  |    |                             |               |                                         |                                                                                           |   |                  |               |                                     |  |   |                 |             |  |  |    |                           |             |                                                        |                                                                                         |                            |
| 6    | The User Agency shall submit an undertaking for no soil excavation in forest land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | शर्त क्र. 6 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वचन पत्र क्र. 5 संलग्न है।                                                                   |                                                                                           |      |           |                  |    |                             |               |                                         |                                                                                           |   |                  |               |                                     |  |   |                 |             |  |  |    |                           |             |                                                        |                                                                                         |                            |
| 7    | The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शर्त क्र. 7 का अनुपालन पूर्व में ही पूर्ण किया जा चुका है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FRA प्रमाणपत्र संलग्न है।                                                                    |                                                                                           |      |           |                  |    |                             |               |                                         |                                                                                           |   |                  |               |                                     |  |   |                 |             |  |  |    |                           |             |                                                        |                                                                                         |                            |
| 8    | The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शर्त क्र. 8 का पालन वन विभाग द्वारा किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                           |      |           |                  |    |                             |               |                                         |                                                                                           |   |                  |               |                                     |  |   |                 |             |  |  |    |                           |             |                                                        |                                                                                         |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.                   | शर्त क्र. 9 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                          | वचन पत्र क्र. 6 संलग्न है।  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                            | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).                                                                                                                                                                                                                 | शर्त क्र. 10 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                         | वचन पत्र क्र.7 संलग्न है।   |
| <b>B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | Legal status of the forest land shall remain unchanged.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शर्त क्र. 1 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                          | वचन पत्र क्र. 8 संलग्न है।  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                             | Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 21.06 ha non-forest land at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided. Details of CA area as follows:               | शर्त क्र. 2 का पालन वन विभाग द्वारा किया जावेगा।                                                         |                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             | Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. | शर्त क्र. 3 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                          | वचन पत्र क्र. 9 संलग्न है।  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                             | The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.                                              | शर्त क्र. 4 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है एवं वृक्षों की कटाई का कार्य वन विभाग द्वारा किया जावेगा। | वचन पत्र क्र. 10 संलग्न है। |

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.                                                 | शर्त क्र. 5 के पालन में लेख है कि भारत सरकार का राजपत्र क्र. 3181 दिनांक 14 अगस्त 2018 (ग) के अनुसार लघु सिंचाई परियोजना के लिये छूट प्राप्त है। अतः शर्त लागू नहीं होती। |                             |
| 6  | The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer              | शर्त क्र. 6 का पालन वन विभाग द्वारा किया जावेगा।                                                                                                                          |                             |
| 7  | The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government                                                                                  | शर्त क्र. 7 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                           | वचन पत्र क्र. 11 संलग्न है। |
| 8  | The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas. | शर्त क्र. 8 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                           | वचन पत्र क्र. 12 संलग्न है। |
| 9  | No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.                               | शर्त क्र. 9 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                           | वचन पत्र क्र. 13 संलग्न है। |
| 10 | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.     | शर्त क्र. 10 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                          | वचन पत्र क्र. 14 संलग्न है। |
| 11 | No labour camp shall be established on the forest land.                                                                                                                            | शर्त क्र. 11 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                          | वचन पत्र क्र. 15 संलग्न है। |
| 12 | The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas  | शर्त क्र. 12 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                          | वचन पत्र क्र. 12 संलग्न है। |
| 13 | The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project project life.                                                                      | शर्त क्र. 13 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                          | वचन पत्र क्र. 16 संलग्न है। |
| 14 | The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.                                                                               | शर्त क्र. 14 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है।                                                                                                                          | वचन पत्र क्र. 17 संलग्न है। |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Central Government                                                                        | शर्त क्र. 15 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र. 14 संलग्न है। |
| 16 | The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project. | शर्त क्र. 16 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र 18 संलग्न है।  |
| 17 | Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife                                                      | शर्त क्र. 17 के पालन में आवेदक विभाग वचनबद्ध है। | वचन पत्र क्र 19 संलग्न है।  |

  
(अखिल विस्तार)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर  
जिला-सागर (म.प्र.)

| Sl. No.                                                                              | Party Code  | Party Name          | Voucher No. | Date of Payment | Amount Paid   | HSIC Code  | Account No.    | Payment Mode | TRF Ref No. | AD Ref No. | Cheque No. | Em No.     | UTR No.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 130312001: E.E WATER RESOURCES DIVNO.1 SAGAR >> UNION BANK OF INDIA >> FCS BANGALORE |             |                     |             |                 |               |            |                |              |             |            |            |            |            |
| 1                                                                                    | 22000870063 | MADHYA PRADESH CAMP | 1307213     | 13/07/2021      | 331.11.091.08 | UDIN996335 | 13076373054284 | APTC         | 1306120234  | 1306120234 | 1306120234 | 1306120234 | 1306120234 |
| Total: 331.11.091.08                                                                 |             |                     |             |                 |               |            |                |              |             |            |            |            |            |
| Total: 331.11.091.08                                                                 |             |                     |             |                 |               |            |                |              |             |            |            |            |            |

Payment Order List  
E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Date From: 01/03/2024 To: 31/03/2024

DDO Code: 3303102002 E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR

Payment Mode: E-Payment

Logged In User: Ms. MANDAKINI SARWARIYA (Assistant Grade III)

Server Name: DCDBSRV4 Managed 2

Report Generated Time: 21/03/2024 13:31:40

| Sr.No                                                                                  | Party Code    | Party Name                 | Voucher No              | Date of Payment | Amount Paid  | IFSC Code   | Account No      | Payment Mode  | BH-Ref No               | Advice No               | Cheque No  | File No                 | UTR-NO           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| 3303102002: E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR >> UNION BANK OF INDIA >> FCS BANGALORE |               |                            |                         |                 |              |             |                 |               |                         |                         |            |                         |                  |
|                                                                                        | 2000270454491 | MADHYA<br>PRADESH<br>CAMPA | 330/8443/032023-24/0125 | 16/03/2024      | 60,57,699.00 | UBIN0996335 | 150765730442612 | E-<br>Payment | MPTC<br>66/200018094122 | 330/032023-24/<br>E0165 | 0330230816 | RBI_330_000797_19032024 | RBI0802449974164 |
| Total                                                                                  |               |                            |                         |                 | 60,57,699.00 |             |                 |               |                         |                         |            |                         |                  |
| Total                                                                                  |               |                            |                         |                 | 60,57,699.00 |             |                 |               |                         |                         |            |                         |                  |

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,

WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Phone no-07582-285247 Near Civil Court, Sagar, Pin-470001

E-mail: cewrdsnolsg@gmail.com

## Undertaking ①

User agency undertakes that Additional amount of the CA or NPV of the forest land, if any, shall be charged by the State Government from the User Agency.

(Nishesh Goswami)

Sub Division Officer

Water Resources Sub Division No.03

Garihakota Dist. Sagar (M.P.)

(Akhil Birihare)

Executive Engineer

Water Resources Division No.1

Sagar (M.P.)

प्रमाण-पत्र

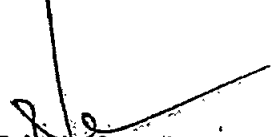
प्रस्तावित गैर वनभूमि के वैधानिक स्वरूप (राजस्व भूमि अथवा निजी भूमि) बाबत  
राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन कवायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत:-

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह० नं० 46/90 खसरा नं० 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व भूमि है।

  
परिक्षेत्र अधिकारी

बण्डा

  
तहसीलदार

बण्डा

प्रमाण-पत्र

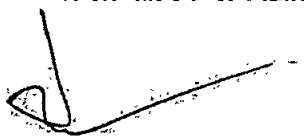
उक्त भूमि में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल की भूमि सम्मिलित नहीं होने बाबत  
राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. क्तभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :-

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह० नं० 46/90 खसरा नं० 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगल सद की नहीं है।

  
परिक्षेत्र अधिकारी

बण्डा

  
तहसीलदार

बण्डा

प्रमाण-पत्र

उक्त भूमि पर व्यक्तियों एवं समुदायों के विद्यमान अधिकारों का सक्षम  
राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये अभिलेखन का प्रतिवेदन

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :-

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह० न० 46/90 खसरा न० 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि पर व्यक्तियों एवं समुदायों का कोई अधिकार नहीं है।

परिक्षेत्र अधिकारी

बण्डा

तहसीलदार

बण्डा

प्रमाण-पत्र

उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त होने बाबत सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण-पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वथिला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :-

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह० न० 46/90 खसरा न० 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं उस पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

  
परिक्षेत्र अधिकारी  
बण्डा

  
तहसीलदार  
बण्डा

प्रमाण-पत्र

उक्त भूमि का राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा वन अधिकारी की उपस्थिति में  
किया गया सीमांकन का प्रतिवेदन/रिपोर्ट

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन कवायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :-

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह० न० 46/90 खसरा न० 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के उपस्थिति में वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष दिनांक 20.12.2006 को मौके का सीमांकन किया गया पंचनामा की प्रति संलग्न है।

  
परिक्षेत्र अधिकारी

बण्डा

  
तहसीलदार

बण्डा

प्रमाण-पत्र

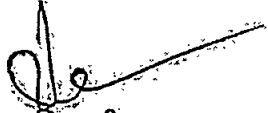
उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने (अधिपत्य सौंपने) का प्रमाण-पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजंरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 है. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :-

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह० नं० 46/90 खसरा नं० 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 है.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 है. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि का अधिपत्य राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा उपस्थित वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को दिनांक 20.12.2006 को मौके पर अधिपत्य सौंपा जा चुका है, पंचनामा की प्रति संलग्न है।

  
परिक्षेत्र अधिकारी

बण्डा

  
तहसीलदार

बण्डा

प्रमाण-पत्र

उक्त भूमि हेतु वन प्रबंधन की दृष्टि से सक्षम वन अधिकारी द्वारा दिया गया उपयुक्त

प्रमाण-पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :-

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह० नं० 46/90 खसरा नं० 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त है।

परिक्षेत्र अधिकारी

बण्डा

उप वनमण्डलाधिकारी

बण्डा

वन मंडल अधिकारी

उत्तर सागर वन मंडल

प्रमाण-पत्र

वृक्षारोपण के लिए उक्त भूमि की उपयुक्तता का सक्षम वन अधिकारी द्वारा दिया गया

प्रमाण-पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन क्वायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 हे. वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :-

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह० न० 46/90 खसरा न० 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 हे. राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

  
परिक्षेत्र अधिकारी

बण्डा

  
उप वनमण्डलाधिकारी

बण्डा

  
वन मंडल अधिकारी

उत्तर सागर वन मंडल

प्रमाण-पत्र

उक्त भूमि किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नहीं दिये जाने संबंधी

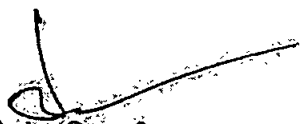
प्रमाण-पत्र

सागर जिले के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन कवायला/मंजला/खजरा जलाशय जल संसाधन विभाग सागर परियोजना 38.28 है। वनभूमि के बदले राजस्व विभाग की शासकीय भूमि बण्डा तहसील के अन्तर्गत :-

1. ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा पटवारी ह० न० 46/90 खसरा न० 105, 107/1, 107/2, 128 से 133 तक, 136 से 138 तक, 353, 354 रकबा 38.28 हे.

उक्त ग्राम की कुल 38.28 है। राजस्व भूमि दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि किसी अन्य परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए नहीं दी गई है।

  
परिक्षेत्र अधिकारी

बण्डा

  
तहसीलदार

बण्डा



खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम सरखेड़ा             |                                                            | पटवारी हज्जा सरखेड़ा            |                                                                                                                         | तहसील देवरी                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                              | जिला सागर                                                                       |                                                                                        | वर्ष: 2024-2025                                         |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि के भाग की पहचान आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भूखण्ड संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ चार मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का जेब | 1. सरकारी प्रदेदार का नाम, उसकी भूमा/पति/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र                                                                                         | मोरुबी का प्रकार (यदि कोई हो) का नाम, उसकी भूमा/पति/पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विज्ञापन तथा प्रमाण<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबधक<br>3. भू-युक्ति<br>प्रक्रियाधीन | फसल के प्रकार फसल के प्रकार फसल के प्रकार फसल के प्रकार | 1. भूमि के विवरण सर्वेक्षण स्थिति<br>2. भूमि पर संरचना/संरचना<br>3. अर्द्ध-अभिलेखित<br>4. वर्ष के दौरान कोलम संख्या (1) से (9) तक में परिवर्तनों में सुधार के आदेश |
| 816319085538-10           | 326/1/2 (S)                                                | 3                               | 4                                                                                                                       | 5                                                                                  | 6                          | 7                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                               | 9                                                                                      | 10                                                      | 12                                                                                                                                                                 |
| 150000 हेक्टेयर           |                                                            |                                 | (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था                                                                         |                                                                                    |                            | न्यायालय सहायक के प्रकरण क्र. 0138/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 02/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।<br>न्यायालय सहायक के प्रकरण क्र. 0002/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 29/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। |                                                                                 |                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                    |

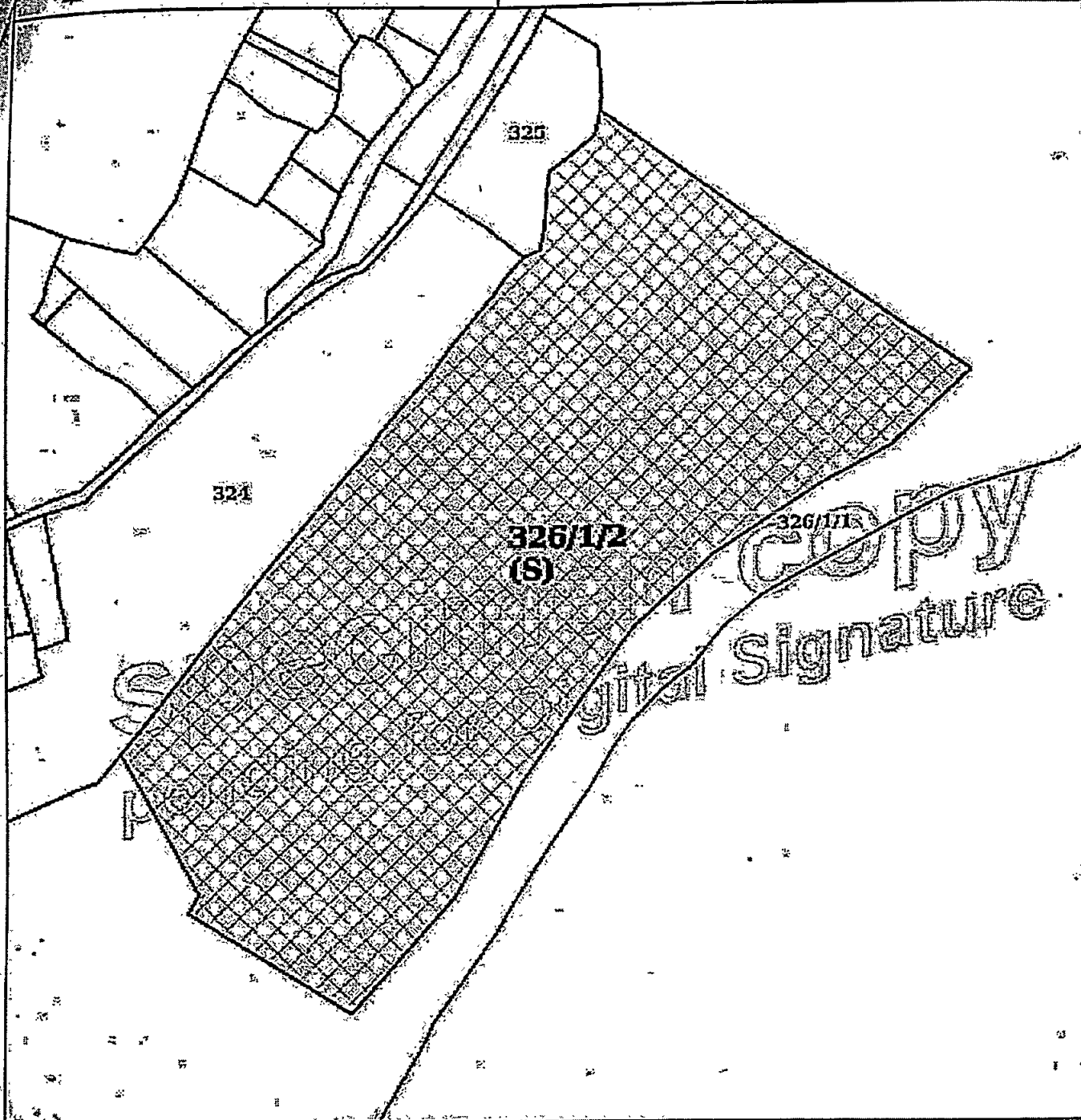


मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2024-25

दिनांक: 20-01-2025 16:13:22



| ब्लॉक सं.                                                   | ग्राम            | रुक्का    | तहसील                            | जिला |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|------|
|                                                             | सरखेडा           | सरखेडा    | देवरी                            | सागर |
| सर्वेक्षण सं.                                               | क्षेत्रफल        | भू.रा.शा. | मापान्व. 1:4000 (पृष्ठ आकार: A4) |      |
| 326/1/2(S)                                                  | 15.0000 (हेक्टर) | 0         | 0 20 40 60 80 120 160 200m       |      |
| मूल्यांकन: (शासकीय) वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था |                  |           |                                  |      |

(हस्ताक्षर)

1. यह नक्शा केवल प्रामाणिकी प्रतिलिपि के रूप में है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में या अन्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटल नक्शा को केवल आधिकारिक और वैध रूप से ही उपयोग किया जाना चाहिए।

पंचनामा लिख हुआ आज दिनांक 11/01/2025 को ग्राम सचिवालय  
 पं. एन. 07 को मिली गोटडागर तहसील देवरी में स्थापित होकर  
 बौद्ध जलसंधारण योजना के तहत में प्रभावित वनस्थलों के कल्ले के तहत  
 शांतिपथ हेतु कल्लेदार पथ के प्रस्ताव क्र. 0002/अ-20 (3) / वर्ष 2024-25  
 अधिसूचना सं. 23/11/2024 के माध्यम से ख. नं. 324 रकबा 75.50 है गेज  
 में ही आवाहन भूमि का लीमांकन कर सीटिंग पर नियंत्रण लगाकर  
 जल संधारण की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही के क्रम में ग्राम के  
 पं. प. 07 अधिसूचना गोटडागर, वनपाल तथा राजस्व विभाग के  
 सहित पंचायत में जल संधारण विभाग के अधिकारी तथा स्थापित पंचायत  
 के वक्ता 15.00 से 2.00 सुविधा वष में पंचायत की पंचायत  
 लगाकर सत्ता पक्ष की ओर से पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर  
 सत्ता पक्ष लगाया गया।

अध्यक्ष  
 श्री. नरेश  
 पंचायत

अध्यक्ष  
 श्री. नरेश  
 पंचायत

अध्यक्ष  
 श्री. नरेश  
 पंचायत

अध्यक्ष  
 श्री. नरेश  
 पंचायत

अध्यक्ष  
 श्री. नरेश  
 पंचायत

भाग - 2 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वनभूमि रकवा 21.06 हेक्टे. के बदले वन परिक्षेत्र गौरझामर हेतु प्राप्त गैर वन भूमि तहसील देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हल्का नम्बर 07 खसरा नम्बर 326 कुल रकवा 75.51 हेक्टे. मे से 10.08 हेक्टे राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है जिसका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है, उक्त भूमि राजस्व भूमि है एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त है जिसमें 50 प्रतिशत मिट्टी बदलने के उपरांत पौधा रोपण का कार्य किया जा सकेगा।

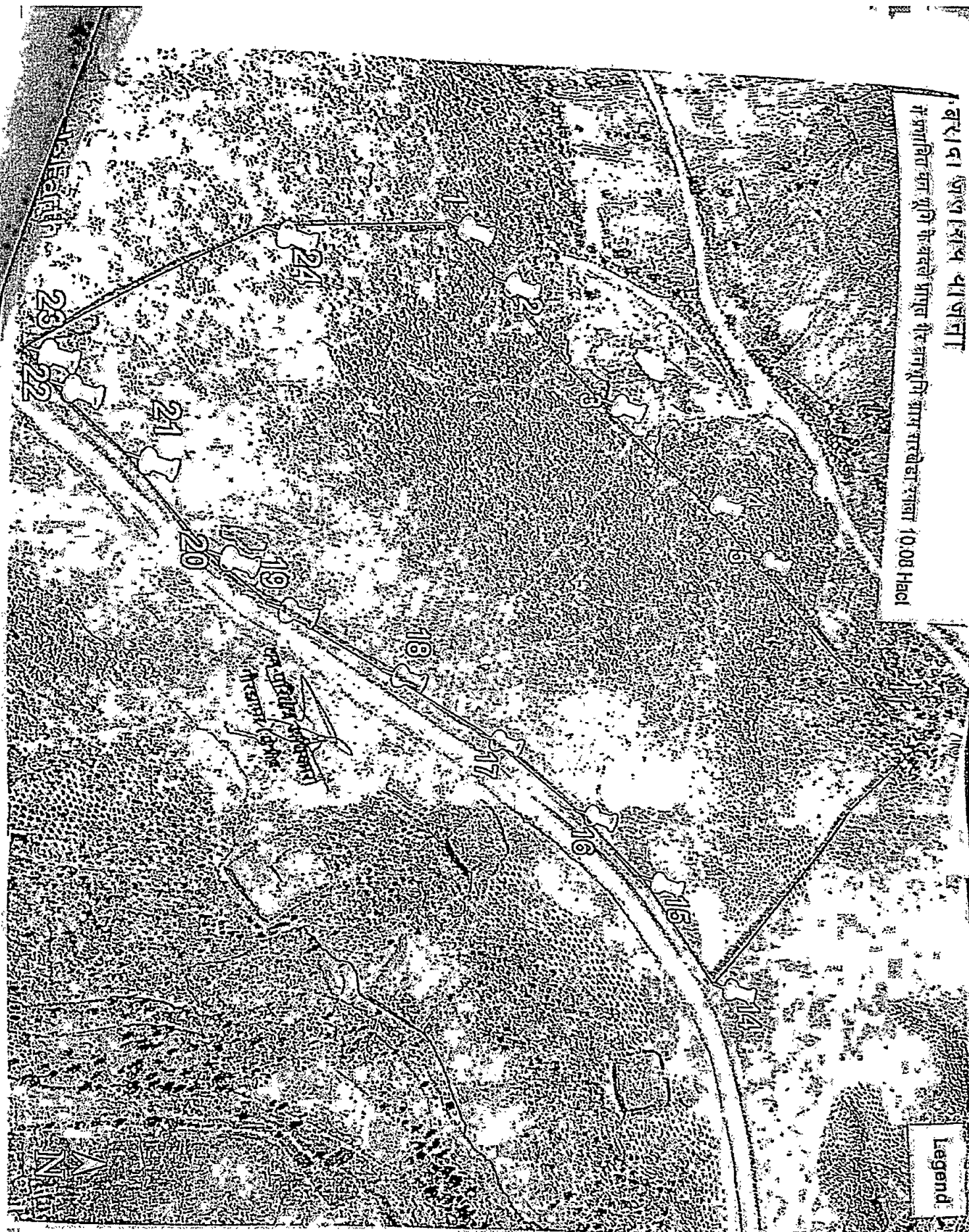
वनपरिक्षेत्राधिकारी  
गौरझामर

उपवनमण्डलाधिकारी  
देवरी

# ब्रह्मदेव जल संयंत्र योजना

संस्थापित कृत प्रति के अर्द्धे प्रोपत भू-रचना प्रति आगत आरवेडा-प्रागत 10.08.1961

Legend



// प्रमाण पत्र //

(राजस्व विभाग)

1. प्रस्तावित गैर वन भूमि के वैधानिक स्वरूप (राजस्व भूमि अथवा निजी भूमि) बाबत राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 है, के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील-देवरी के अन्तर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर-07 खसरा नम्बर-326 कुल रकबा 75.51 है, में से 15 है राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है।

12/11/2025  
तहसीलदार  
नायक तहसीलदार  
गोरखपुर  
तहसील-देवरी

// प्रमाण पत्र //

(राजस्व विभाग)

2. उक्त भूमि में छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगल की भूमि सम्मिलित नहीं होने बावत् राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील-देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर-07 खसरा नम्बर-326 कुल रकबा 75.51 हे. में से 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है। उक्त भूमि में छोटे एवं बड़े झाड़ के जंगल की भूमि सम्मिलित नहीं है।

12/05/25  
तहसीलदार

नायदेवरी तहसीलदार  
गोदालपुर  
लक्ष्मी देवरी

॥ प्रमाण पत्र ॥

(राजस्व विभाग)

3. उक्त भूमि पर व्यक्तियों एवं समुदायों के विद्यमान अधिकारों का राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये अभिलेखन का प्रतिवेदन।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील-देवरी के अन्तर्गत ग्राम सरखेडा पटवारी हलका नम्बर-07 खसरा नम्बर-326 कुल रकबा 75.51 हे. में से 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है। उक्त भूमि पर व्यक्तियों एवं समुदायों का कोई अधिकार नहीं है।

12/2015  
तहसीलदार

नायदेवी तहसीलदार  
सागर  
सागर - देवरी

// प्रमाण पत्र //

(राजस्व विभाग)

4. उक्त भूमि का अतिक्रमण मुक्त होने बावत् सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरीदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील-देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर-07 खसरा नम्बर-326 कुल रकबा 75.51 हे. में से 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है। उक्त भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं है।

तहसीलदार

नायदेवरी तहसीलदार

गोरापुर

तहसील-देवरी

// प्रमाण पत्र //

(राजस्व विभाग)

5. उक्त भूमि का राजस्व विभाग के संक्षम अधिकारी द्वारा वन अधिकारी की उपस्थिति में किया गया सीमांकन का प्रतिवेदन/रिपोर्ट।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 है, के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील-देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर-07 खसरा नम्बर-326 कुल रकबा 75.51 है, में से 15 है राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है। उक्त भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में दिनांक 11/01/2025 को किया गया है। पंचनामा की प्रति संलग्न है।

तहसीलदार

नाम देवरी तहसीलदार

गैर वन  
तहसील - देवरी

// प्रमाण पत्र //

(राजस्व विभाग)

7. उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने (आधिपत्य सौंपने) का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अन्तर्गत बरोदा जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 है। के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील-देवरी के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर-07 खसरा नम्बर-326 कुल रकबा 75.51 है।  
मेंसे 15 है राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल नहीं है। उक्त भूमि राजस्व भूमि है। उक्त भूमि का आधिपत्य राजस्व निरीक्षक/पटवारी द्वारा वन विभाग वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में दिनांक 11/01/2025 को सौंपा गया।

तहसीलदार  
नायदेवरी  
गौरवामर  
तहसील-देवरी

/प्रमाण पत्र/

(राजस्व विभाग)

11. उक्त भूमि किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नहीं दिये जाने संबंध  
प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के अंतर्गत बरोदा  
जलाशय से प्रभावित वन भूमि रकबा 21.06 हे. के बदले प्राप्त गैर वन भूमि तहसील-देवरी  
के अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पटवारी हलका नम्बर-07 खसरा नम्बर-326 कुल रकबा 75.51 हे.  
में से 15 हे. राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई है। उक्त भूमि पर कोई निजी भूमि शामिल  
नहीं है। उक्त भूमि राजस्व भूमि है। उक्त भूमि किसी अन्य परियोजना में वैकल्पिक  
वृक्षारोपण हेतु नहीं दी गई है।

तहसीलदार

नाथद्वीप तहसीलदार

गोरखानगर

तहसील-देवरी

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES

DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: cewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING (19)

The user agency undertakes the compliance of any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birihare)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES  
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdno.1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING** (18)

User Agency undertakes to ensure compliance of the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub. Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Bhatnagar)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES  
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

1 Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail ceewrdno.1sgr@gmail.com

UNDERTAKING (17)

The user agency undertakes that the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO. 3  
Garhiakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Bhatnagar)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**  
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING** (C)

User agency undertakes that the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birkhare)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES  
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

UNDERTAKING (15)

The user agency undertakes no labour camp shall be established on the forest land

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Bithare)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**  
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

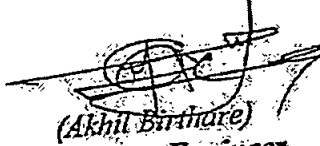
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail: eewrdno.1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

(14)

The user agency undertakes that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Bhatnagar)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES  
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

UNDERTAKING (3)

The user agency undertakes that no additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub-Divisional Officer  
Water Resources Sub-Dn. NO. 3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birlhare)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**  
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail-ccwrdno.1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING** (12)

The user agency undertakes the User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birlhare)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES  
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail cewrdno.1sgr@gmail.com

UNDERTAKING (11)

The user agency undertakes that layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akint Dhillon)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,

WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Phone no-07582-285247 Near Civil Court, Sagar, Pin.-470001

E-mail: cewrdnolsgr@gmail.com

## Undertaking (10)

User agency undertakes that The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department.

(Nishesh Goswami)

Sub Division Officer

Water Resources Sub Division No.03

Garhakota Dist. Sagar (M.P.)

(Akhl Bithare)

Executive Engineer

Water Resources Division No.1

Sagar (M.P.)

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**  
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eowrdno.1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING** (9)

User Agency undertakes that additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency.

(Nishesh Goswami)  
Sub-Divisional Officer  
Water Resources Sub-Dn. NO.3  
Garhiakota, Sagar (M.P.)

(Akhil Bhatnagar)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES  
DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdo.1sgr@gmail.com

UNDERTAKING ⑧

The user agency undertakes to keep the legal status of diverted forest land unchanged.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub-Divisional Officer  
Water Resources Sub-Dn. NO. 3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birlhare)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES

DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail [cewrdno.1sgr@gmail.com](mailto:cewrdno.1sgr@gmail.com)

UNDERTAKING (7)

The user agency undertakes that the compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)

  
(Nishesh Goswami)  
Sub-Divisional Officer  
Water Resources Sub-Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birlhare)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,

WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Phone no-07582-285247 Near Civil Court, Sagar, Pin.-470001

E-mail: cewrdsnolsgr@gmail.com

## Undertaking ④

User agency undertakes that Violation of any of these conditions will amount to Violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 121 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019

(Nishesh Goswami)

Sub-Division Officer

Water Resources Sub-Division No.03

Garhakota Dist. Sagar (M.P.)

(Akhil Birlhare)

Executive Engineer

Water Resources Division No.1

Sagar (M.P.)

**GOVERNMENT OF GUJARAT**  
**Ministry of Environment and Forests**  
**Public Relations and Information**

**FOR INFORMATION WITH REGARD TO FOREST LAND**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (Min E.F.) Government of India, No. 11-24514 dt. 1st August 2000, where in the "Forest Rights Act, 2006" (FRA) has been passed, all evidence for having initiated and completed the process of diversion of forest land under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA), for short, on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, has been certified that 21.06 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Baroda village (purpose for diversion of forest land) in Sagar District falls within jurisdiction of Gram Sabha of Baroda and Sagar Tehsil.

It is hereby stated that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire 21.06 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (S), Gram Sabha of Baroda, District Level Committee (S) and the District level Committee are enclosed as annexure-1 to annexure-6.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers who are eligible under the FRA.
- (c) The each concerned Gram Sabha (S) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out and they have given their consent to proposed diversion and compensation and ameliorative measures, if any having understood the proposed and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Baroda village (S) is enclosed as Annexure-1 to annexure-6.
- (d) The discussion and decision of such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of primitive Tribal Ground and Pre-Agricultural Communities, where applicable, have been specifically safeguarded as per section 3(1)(c) of the FRA.

Yours faithfully

**Secretary**  
**Ministry of Environment and Forests**  
**Sagar**

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**  
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

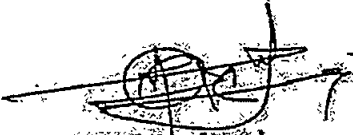
Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING** (5)

The user agency undertakes that no soil excavation in forest land.

  
(Nishesh Goswami)

Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Birihare)

Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**  
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail cewrdno.1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING** ④

The user agency undertakes that all the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e. portal.

  
(Nishesh Goswami)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Dn. NO.3  
Garhakata, Sagar (M.P.)

  
(Akhil Bhatnagar)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES**  
**DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)**

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdo.1sgr@gmail.com

**UNDERTAKING**

(3)

The user agency undertakes that The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest or Protected Forest under the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of PF/RF notification shall be submitted with Stage-I compliance report.



(Nishesh Goswami)  
Sub-Divisional Officer  
Water Resources Sub-Dn. NO.3  
Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Bhatnagar)  
Executive Engineer  
Water Resources Dn. No. 1  
Sagar (M.P.)

Annexure-

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES

DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail eewrdno.1sgr@gmail.com

UNDERTAKING

(2)

The user agency undertakes that the non-forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department



(Nishesh Goswami)

Sub Divisional Officer

Water Resources Sub Dn. NO.3

Garhakota, Sagar (M.P.)



(Akhil Bithare)

Executive Engineer

Water Resources Dn. No. 1

Sagar (M.P.)



## FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

Home FCA-1980 Projects Diverted Lands CA Lands Reports

### INFORMATION

**SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:55550**

Project Name : **Baroda Irrigation Project**

Year : **2022**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project](#)
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details](#)
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects](#)
- [Add CA Land / Site Details to the Project](#) Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.